


अप्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी ने मूलवाद के  
काया किया है। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस  
की गई।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, शपथ पत्र  
का बहस एकपक्षीय वकील प्रार्थीगण पर गौर करने से  
अप्रार्थना में केस व सुविधा का सन्तुलन एवं नापूर्ति  
की गयी है। अतः प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होती है। अतः  
अप्रार्थीगण को आगामी तिथि 08.06.2018 तक जयें  
एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया  
जाता है कि वो विवादित आराजी खसरा नम्बर 429  
रकबा 0.14, 430 रकबा 0.01, 431 रकबा 0.18, 457  
रकबा 0.20, 458 रकबा 0.20, 1147 रकबा 0.10 हैक्ट0  
कुल कित्ता 6 रकबा 0.83 हैक्ट0 वाके ग्राम खेडी  
तहसील रामगढ जिला अलवर को रहन, बय नही करे,  
साम्ब रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।  
प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 हो। अप्रार्थीगण को जयें रजि0  
एणडी0 तलबी से तलब कर दिनांक 08.06.2018 को पेश  
हो।

  
उप खण्ड अधिकारी  
रामगढ (अलवर)

8-6-18 :- पत्राचार न्याय विभाग  
द्वारा जयें प्रार्थी के पक्ष में  
हस्ताक्षरित किया। अतः प्रार्थी  
पत्राचार में अप्रार्थी के पक्ष में  
अप्रार्थीगण के पक्ष में दिनांक  
23.5.18 को जारी न. न. सुपरावे  
में जयें निरन्तरण रकबा प्रकृत की  
जाती है।

  
उप खण्ड अधिकारी  
रामगढ (अलवर)